

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई/चि.अ./इन सर्विस पीजी-2017/2018/

दिनांक : 24.10.2018

रजिस्ट्रार,
राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल,
22 गोदाम, जयपुर।

विषय: वर्ष 2017 में इन सर्विस कैटेगिरी के अन्तर्गत पीजी पूर्ण करने के पश्चात बाण्ड की शर्तों के अनुसार 05 वर्ष तक राजकीय सेवा पूर्ण नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने बाबत।
संदर्भ: निदेशालय के पत्रांक ई/चि.अ./इन सर्विस पीजी-2017/2018
दिनांक 12.10.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयक प्रकरण में चूंकि संबंधित चिकित्सकों ने बंधपत्र की शर्तों के अनुसार राज्य सेवा में कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः निर्देशानुसार इनके रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही को विड़ों किया जाता है।

~~संलग्न सूची~~

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई/चि.अ./इन सर्विस पीजी-2017/2018/ 764

दिनांक : 24.10.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर।

प्रभारी सर्वर रूम के विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड हेतु सूचित है।

S.K. ACHARYA
Addl. ADM. Officer

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।